भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2131
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

एनएमएफपी के अंतर्गत विकास

†2131. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत हाल के कार्यकलाप क्या हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट उपयोग कितना किया गया है;
(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक छोटे खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ता, विशेषकर वे जो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास ऋण सुविधा और प्रौद्योगिकी की कमी है, को लाभ प्राप्त हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या मंत्रालय का फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने और खेत के स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को रोकने के लिए एनएमएफपी का उपयोग करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने किसानों की आय में सुधार और कृषि में मूल्यवर्धन को और सुधारने में एनएमएफपी की सफलता संबंधी मापन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) को केंद्र सरकार के समर्थन से अलग कर दिया है। तदनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनएमएफपी के तहत कोई भी धनराशि जारी नहीं की है।

(ख) से (ङ): उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।

हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) विभिन्न पहलों और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है। एमओएफपीआई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं सहित उपर्युक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, किसानों को बेहतर आय प्रदान करना, रोजगार के अवसर का सृजन करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और बर्बादी को कम करना और प्रसंस्करण स्तर/मूल्यवर्धन को बढ़ाना है।

*****